

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 141/2021

अनवान : -

1. राजेश पुत्र प्रताप जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर नाबालिग उम्र 15 साल जरिये संरक्षिका व माता रामेश्वरी पत्नी प्रताप जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर हाल भगवान तहसील नोहर।

- सायल

बनाम्

1. दयाराम पि०मु० चन्दु जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर।
2. प्रताप पुत्र दयालाराम जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर।
3. गौरशंकर पुत्र दयालाराम जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
6. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :- श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता

सायलान

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय

दिनांक: 20/5/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खता संख्या 175/162 की कुल 7.6790 हैक्ट भूमि में सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 10 व गैरसायल 1 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा चक 9 आरपीएम तहसील नोहर के खता संख्या 27/23 की कुल 1.7960 हैक्ट भूमि में सायल व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 1/7 हिस्सा के तथा गैर सायल न० 1 व दावा के प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 7 पांचो बहिब 5/7 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स० 1 ता 3 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स० 1 ता 3 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायल अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायलान के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायल को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा सायल की माता रामेश्वरी व तरतीबी प्रतिवादिया संख्या 10 को को मारपीट करके घर से निकाल दिया तथा गैरसायलान के उक्त

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वाद भूमि दर्ज होने से गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 175/162 की कुल 7.6790 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 9 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 27/23 की कुल 1.7960 हैक्ट कृषि भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 ता 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री रविन्द्र गोदारा उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उत्तरदाता यानि की गैरसायल स0 1 वृद्ध व्यक्ति है जिसको परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इससे पूर्व श्रीमानजी के समक्ष अनवानी राजेश बनाम दयालाराम वाद संख्या 171/2016 प्रस्तुत किया गया था जो कि दिनांक 22.08.2019 को सायल ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था की वाद भूमि बाबत हमारा राजीनामा हो चुका है वाद व प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे एवं इसी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया। वाद भूमि पर सायल का किसी प्रकार का कब्जा नहीं है एवं अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है अतः रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला :- प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावे क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों चन्दु पुत्र काना के नाम दर्ज रही है और चन्दु की फौतदगी के बाद सायल के दादा व पिता यानि की अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को

01  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन— सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स० 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है। प्रार्थीगण का अप्रार्थी 0 1 के विरुद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को रहन बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थीगण का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णय क्षति— अपूर्णय क्षति से तात्पर्य एक तात्त्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर दिनांक 21.09.2021 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक.....20/5/24.....मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर